

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई, 2013

क्रमांक एफ 3-48/2012/10-1: राज्य शासन एतद् द्वारा श्री ए.के. दीक्षित, वन क्षेत्रपाल, टाईगर स्ट्राइक फोर्स कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मुख्यालय भोपाल को सहायक वन संरक्षक, के पद पर राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक उप वनमंडलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार, सागर में पदस्थ करता है।

2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम -1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परिक्षण अवधि के लिए होगी।

3/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी मे कर दी गई है।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा -6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

5/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण डब्ल्यू.पी. 8288/12 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(बबीता बसुनिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-I) एवं (प्रशा.-II) म0प्र0 भोपाल।
6. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन विभाग, भोपाल।
7. विशेष सहायक, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार वृत्त, सागर।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
10. संबंधित अधिकारी -
द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल।
11. गार्ड फाईल

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 7 जून, 2013

क्रमांक एफ 3-50/2011/10-1 श्री चित्रसेन वर्मा, तत्कालीन वन क्षेत्रपाल को सामान्य वर्ग मानकर दिनांक 21.04.2008 द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। विभागीय आदेश क्रमांक 3-96/09/10-1, दिनांक 26.10.2009 द्वारा श्री चित्रसेन वर्मा (वरीयता क्र 337) को अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा श्री वर्मा से कनिष्ठ पदोन्नत अधिकारी श्री आर.डी. शाक्य अ.जा. वर्ग (वरीयता क्र. 372) की सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक 24.12.2002 से श्री चित्रसेन वर्मा को सहायक वन संरक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में "कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धान्त" के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-50/2011/10-1

भोपाल, दिनांक 7 जून, 2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 सचिव, लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश इन्दौर।
- 2 महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा-1) मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन विभाग, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
7. संबंधित अधिकारी श्री.....
द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1), भोपाल।
8. गार्ड फाइल।

श्री. व. व. के




अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

उप. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-1)
वन विभाग, भोपाल
11.6.13

944
12/6/13

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/प्रशा.-1/रा.व.से./ 3343

भोपाल, दिनांक 17-6-2013

प्रतिलिपि :-

1 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा-2) म0प्र0 भोपाल।

2 मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त जबलपुर/सिवनी म0प्र0।

3 वनमण्डलाधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, उत्तर सिवनी (सा.) वन मण्डल म0प्र0।

आर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि कृपया म0प्र0

न.प्र. भोपाल, वन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 3-50/2011/10-1 दिनांक 07-06-2013 की

प्रति संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

म.प्र. भोपाल
17/6/13



(सुनील अग्रवाल)

मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1)

म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 5 जून, 2013

क्रमांक-एफ-3-48/2012/10-1 :: राज्य शासन एतद्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य वन सेवा के कन्स्टि श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थिति	प्रस्तावित पदस्थिति
1	श्री के.के. खरे,	प.अ. दक्षिण उकवा, पश्चिम बालाघाट उत्पादन वन मंडल	स.व.स. म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ
2	श्री एस.एन. प्रजापति	अनुसंधान/ विस्तार वृत्त भोपाल	उप वन मंडल अधिकारी, बुधनी (उत्पादन) सीहोर सा0 वन मंडल
3	श्री ए.के. दुबे	विशेष कर्तव्य, दक्षिण पन्ना सामान्य वन मंडल	स.व.स. म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ
4	श्री जे.पी. रावत	प.अ. ओरछा अभ्यारण्य टीकमगढ सामान्य वन मंडल	स.व.स. म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ
5	श्री वाय.एन. विश्वकर्मा	विशेष कर्तव्य, सीधी सामान्य वन मंडल	स.व.स. म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ
6	श्री ओंकार सिंह चौहान	प.अ. बड़ामलहरा (सा.) छतरपुर सामान्य वन मंडल	स.व.स. म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ
7	श्री के.के. शर्मा	विशेष कर्तव्य, रीवा वृत्त	उप वन मंडल अधिकारी, छपारा (उत्पादन) उत्तर सिवनी (उत्पा) वन मंडल
8	श्री पोतन सिंह बरकडे	सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद	उप वन मंडल अधिकारी, देवरी (उत्पादन) दक्षिण सागर सा0 वन मंडल
9	श्री भानुप्रकाश बथमा	प.अ. बजाग (सा.) डिण्डोरी सामान्य वन मंडल	स.व.स. म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ


2/ उपर्युक्त पदोन्नति म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परिक्षण अवधि के लिए होगी।

3/ म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों, रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र0 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

5/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण डब्ल्यू0पी0 8288/12 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(छोटे सिंह)
उप सचिव,

म0प्र0 शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 5 जून, 2013

पू0क्र0-एफ-3-48/2012/10-1

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
2. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0, भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0, भोपाल।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) म0प्र0, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, भोपाल।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-1) एवं (प्रशा-2) म0प्र0, भोपाल।
8. विशेष सहायक, मा0 मंत्री जी/निज सचिव, राज्य मंत्री जी, वन विभाग।
9. विशेष सहायक, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. मुख्य वन संरक्षक, वृत्त सिवनी/रीवा/सागर/होशंगाबाद/जबलपुर/छतरपुर/बालाघाट।
11. मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार वृत्त, भोपाल।
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
13. गार्ड फाईल।

गोपनीय
27/6/13

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा-II) म.प्र. भोपाल

27/6/13





उप सचिव,
म0प्र0 शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 01.04.2013

क्रमांक एफ 3-48/2012/10-1: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम सम्मुख दर्शाये गये पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1.	श्री एम.के.चौधरी	वन क्षेत्रपाल, कार्य आयोजना भोपाल	सहायक वन संरक्षक, कार्यालय प्र.मु.व.सं. भोपाल
2.	श्री ए.पी.सिंह	परिक्षेत्र अधिकारी, मोहगांव, पूर्व मण्डला (सा.) व.मं.	सहायक वन संरक्षक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ
3.	श्री बी.पी.सिंह	परिक्षेत्र अधिकारी, बुधनी, सीहोर (सा.) वन मंडल	सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल
4.	श्री डी.एस.चौहान	परिक्षेत्र अधिकारी, कूनो पालपुर वन मंडल, श्योपुर	सहायक वन संरक्षक, ईको टूरिज्म बोर्ड भोपाल (प्रतिनियुक्त पर)
5.	श्री गोपाल सिंह मुवेल	वन क्षेत्रपाल, कार्य आयोजना, खंडवा	सहायक वन संरक्षक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ

2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

5/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण डब्ल्यू. पी.8288/12 के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.के.चौकसे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वन विभाग

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
 2. सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश, भोपाल।
 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश, भोपाल।
 5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) मध्य प्रदेश, भोपाल।
 6. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
 7. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ भोपाल।
 8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रश. II. 1) मध्य प्रदेश, भोपाल।
 9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रश. II. 2) मध्य प्रदेश, भोपाल।
 10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ईकोटूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, भोपाल।
 11. मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, भोपाल/खंडवा।
 12. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी वन/निज सचिव माननीय राज्य मंत्रीजी वन।
 13. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल।
 14. मुख्य वन संरक्षक वृत्त भोपाल/जबलपुर/खंडवा/ग्वालियर।
 15. संयुक्त संचालक जन संपर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
 16. संबंधित अधिकारी
द्वारा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश भोपाल।
 17. गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव
म.प्र.शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 01.03.2013

क्रमांक एफ 3-48/2012/10-1: राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री ए.के.शर्मा	परिक्षेत्र अधिकारी, आमला, दक्षिण बैतूल (सा.) वन मंडल	अनुदेशक, वन विद्यालय गोविन्दगढ़, शीवा (सा.) वन मंडल
2.	श्री आर.एल.शर्मा	परिक्षेत्र अधिकारी, शहपुरा, जबलपुर (सा.) वन मंडल	उप वन मंडल अधिकारी, रूखड़ (उत्पा.) दक्षिण सिवनी (उत्पा.) वन मंडल
3.	श्री कृष्ण बहादुर सिंह	परिक्षेत्र अधिकारी, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना	सहायक वन संरक्षक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ
4.	श्री आर.सी.गुप्ता	वन क्षेत्रपाल, कार्य आयोजना, जबलपुर	सहायक वन संरक्षक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ
5.	श्री एस.के.पाठक	परिक्षेत्र अधिकारी, बरखेड़ा औबेदुल्लागंज (सा.) वन मंडल	उप प्रबंधक, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)


2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

3/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों, रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रं. 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

5/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण डब्ल्यू.पी.8288/12 के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.के.चौकसे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वन विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ भोपाल।
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. 1)/ (प्रशा. 2) मध्य प्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल।
10. विशेष सहायक, वन मंत्रीजी / निज सचिव, राज्य मंत्रीजी वन विभाग।
11. विशेष सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल।
12. मुख्य वन संरक्षक वृत्त बैतूल/रीवा/सिवनी/जबलपुर/भोपाल/छतरपुर।
13. संयुक्त संचालक जन संपर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
14. संबंधित अधिकारी.....

द्वारा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश भोपाल।

उ.श. / गोपनीय
02/3/13

01/3/13
उप सचिव
म.प्र.शासन, वन विभाग

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म.प्र. भोपाल
2/3/13



मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 02.01.2013

क्रमांक एफ 3-48/2012/10-1: राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानांपन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री हरप्रसाद आर्य	प0अ0 सिवनी वृत्त	सहायक अनुदेशक, जैव विविधता केन्द्र ताला उमरिया
2.	श्री मन्नालाल पगारे	कार्य आयोजना इकाई शिवपुरी	स0व0सं0 वन विद्यालय अमरकंटक
3.	श्री विक्रम सिंह सोलंकी	प0अ0 कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला	स0व0सं0, रेंजर्स कॉलेज, बालाघाट


2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

3/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों, रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

5/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण डब्ल्यू, पी.8288/12 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

 21/1/13

(आर.के.चौकसे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 02.01.2013


पृ क्रमांक एफ 3-48/2012/10-1

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ भोपाल।
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. 1/2) मध्य प्रदेश, भोपाल।
9. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी वन/निज सचिव माननीय राज्य मंत्रीजी वन।
10. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल।
11. मुख्य वन संरक्षक वृत्त सिवनी/शिवपुरी/जबलपुर/बालाघाट/शहडोल।
12. संयुक्त संचालक जन संपर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
13. संबंधित अधिकारी.....

द्वारा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश भोपाल।

रावत


21/1/13
उप सचिव
म.प्र.शासन, वन विभाग

40
21/1/13